

प्रेषक,

राजबहादुर रामदेव यादव,  
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-05 /  
विशेष न्यायाधीश (गिरोहबंद अधिनियम)  
गोण्डा।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् माननीय जनपद न्यायाधीश,  
गोण्डा।

विषय:-

शासनादेश सं0-14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301(1) 2024, दिनांक  
28 जून 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन हेतु विकल्प चयन करने हेतु आवेदन।


महोदय,

निवेदन है कि आवेदक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 26.05.2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या-2430 / दो-4-06-32(1) / 2001 टीसी 1) से हुई थी। आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या-1338 / डीआर(एस) / 2006, दिनांकित 24.07.2006 के अनुक्रम में दिनांक 28.07.2006 को जनपद जौनपुर में अपर सिविल (जू0डि0) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। आवेदक की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22-28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन संख्या-ए-2 / ई-1 / 2003 के अन्तर्गत हुई थी। इस प्रकार आवेदक शासनादेश संख्या-14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024 / 301(1)2024, दिनांकित 28 जून 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित होने का पात्र है।

आवेदक, शासनादेश सं0-20 / 2024 / सा-3-276 / दस-2024 / 301(1) 2024, दिनांकित 11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में अपना विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित कर रहा है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि आवेदक को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

  
(राजबहादुर रामदेव यादव)

अभिज्ञान संख्या-यूपी6502  
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-5 /  
विशेष न्यायाधीश (गिरोहबंद अधिनियम),  
गोण्डा।


दिनांक- 20.07.2024

संलग्नक-

1- पुरानी पेंशन योजना में आच्छादित करने हेतु विकल्प पत्र।

No. 1906 Date 05.08.2024

FORWARDED

  
District Judge, Gonda  
05.08.2024

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1) 2024, दिनांक 28 जून 2024 तथा संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1) 2024, दिनांकित 11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में  
पुरानी पेंशन योजना के चयन का विकल्प पत्र

1. नाम - राजबहादुर रामदेव यादव
2. वर्तमान पदनाम - अपर जनपद न्यायाधीश/गिरोहबंद अधिनियम, गोण्डा।
3. वेतमान - मूल वेतन-1,94,660/- (दिनांक 01.02.2024 को)
4. वर्तमान विभाग का नाम - न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर  
मर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम - नियुक्ति अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा  
आयोग इलाहाबाद।
6. विज्ञप्ति की तिथि - ए-2/ई-1/2003, रोजगार समाचार 22-28 नम्बर, 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि - 24.07.2006
8. योगदान की तिथि - 28.07.2006
9. जन्मतिथि - 01.11.1970
10. सेवा निवृत्ति की तिथि - 31.10.2030

मैं राजबहादुर रामदेव यादव पुत्र श्री रामदेव यादव शासनादेश सं0-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1) 2024, दिनांक 28 जून 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (√) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाए।

हस्ताक्षर.....  
नाम - राजबहादुर रामदेव यादव  
पदनाम-अपर जनपद न्यायाधीश/  
गिरोहबंद अधिनियम, गोण्डा।  
जे0ओ0 कोड-यूपी6502

#### घोषणा पत्र

मैं राजबहादुर रामदेव यादव पदनाम अपर जनपद न्यायाधीश/गिरोहबंद अधिनियम गोण्डा, यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर.....  
नाम - राजबहादुर रामदेव यादव  
पदनाम-अपर जनपद न्यायाधीश/  
गिरोहबंद अधिनियम, गोण्डा।  
जे0ओ0 कोड-यूपी6502

#### सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

मैं राजबहादुर रामदेव यादव पदनाम अपर जनपद न्यायाधीश/गिरोहबंद अधिनियम, गोण्डा को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (√) में सम्मिलित किए जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति